एस.पी.एम औटोकॉम्प में औद्योगिक दुर्घटनाएं और यूनियन बनाने का संघर्ष

पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स
दिल्ली
जनवरी 2018

मानेसर, हरियाणा का इन्डस्ट्रियल माडल टॉउन शिप (आई.एम.टी), दिल्ली-एन.सी.आर. का जाना माना औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र होने के अलावा, यह क्षेत्र मारुती प्लान्ट के कारण भी मशहूर है। मारुती के मजदूरों का संघर्ष भी प्रचलित रहा है, और यह भी जानी हुई बात है कि हाल में ट्रायल कोर्ट ने 13 मजदूरों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मारुती कम्पनी के अलावा, इस इलाके में मारुती जैसी ऑटोमोबाईल कम्पनियों के लिये पुर्जा बनाने वाली भी कई कम्पनियाँ कार्यरत हैं। ऐसी ही एक कम्पनी एस.पी.एम. ऑटो कॉम्प प्राईवेट लिमिटेड है। एस.पी.एम. तथा मारुती का रिश्ता यहीं तक सीमित नहीं है। एस.पी.एम. के मजदूर भी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, तथा पुलिस और मैंनेजमेंट के दमन को झेल रहे हैं।

अप्रैल 2017 में, एक मजदूर की फैक्ट्री में भयावह हालातों में मौत के बाद, एसपीएम में यूनियन बनाने का संघर्ष तेज हो गया। पी.यू.डी.आर. द्वारा 18 एवं 24 अक्टूबर को की गई जाँच पड़ताल (फैक्ट फाइंडिंग) में फैक्ट्री के हालातों का मुआइना किया गया। पी.यू.डी.आर. की जाँच टीम, ने एस.पी.एम. के मजदूरों से बात की। इसके अलावा, टीम, अलीयर पुलिस थाना (सेक्टर 3 मानेसर) गई और वहां के प्रभारी से बात की। इसके अतिरिक्त केस से जुड़े वकीलों से भी बात की। टीम उसके बाद प्लांट भी गई ताकि एसपीएम मैनेजमेंट से मिल सके लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से किसी के उपलब्ध न होने के कारण, मुलाकात नहीं हो सकी। जाँच की प्रक्रिया जनवरी 2018 तक चली।

एस.पी.एम. कम्पनी, विभिन्न कंपनियों की यात्री गाड़ियों और व्यवसायिक वाहनों के लिए एग्जॉस्ट मेनीफोल्ड और स्टीयरिंग नक्कल का निर्माण करती है। इनमें से मारूति भी एक है। मानेसर में एस.पी.एम. का फाउंड्री (ढलाई-घर) और मशीन शॉप है। फाउंड्री में अकुशल मजदूर कार्य करते हैं, वहीं मशीन शॉप में आई.टी.आई. के डिप्लोमा व डिग्री धारक कार्य करते हैं। फांउड्री में करीब 350 मजदूर काम करते है इनमें से केवल कुछ मजदूर ही कंपनी के स्थायी (परमानेंट) मजदूर हैं जबकि अधि कांश मजदूर ठेकेदार द्वारा ठेके पर रखे गये हैं। दूसरी ओर, मशीन शॉप पर 180 परमानेंट मजदूर और कुछ ठेका मजदूर काम करते हैं। इसके अलावा 10-15 मजदूरों को पैकिंग, लोडिंग-अनलोडिंग, सफाई और अन्य तरह के कार्यों के लिए रखा गया है।

घटनाक्रमः मृत्यु या हत्या

ठेके पर काम करने वाला 24 साल का सफाई कर्मचारी शत्रुघ्न, 6 अप्रैल 2017 की सुबह 5.30 बजे दुर्घटनावश, फाउंड्री मशीन की बेल्ट की चपेट में आ गया। सुबह 7 बजे के करीब जब दूसरे मजदूरों यह पता चला तो मैनेजमेंट से यह मांग की

गयी कि मशीन बेल्ट को काट कर शत्रुघन को बचाया जाये। मैनेजमेंट ने बेल्ट काटने की अनुमति नहीं दी तब मजदूरों को टूल डाउन' करना पड़ा। तब तक शत्रुघ्न के परिवार के लोग भी पहुंच गये थे। 9 बजे के करीब मैनेजमेंट के पहुंचने पर टूल डाउन को हटा लिया गया। लेकिन मुख्य मालिक की अनुपस्थिति के कारण कोई बातचीत नहीं हो पाई, अत: मजदूरों ने दोबारा से टूल डाउन शुरू दिया, जो कि लगभग दोपहर तक चला। इसी बीच पुलिस की दो गाडियाँ भी भर कर आ गई। 9.30 बजे के करीब आस-पास की फैक्ट्रियों के करीब 20-30 यूनियन के नेता भी सहयोग के लिए पहुँच गये। उसके बाद 33 लोगों के खिलाफ एफ. आई.आर. दर्ज हुई जिसमें विभिन्न यूनियनों के कार्यकर्त्ताओं को शामिल किया गया और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ अतिक्रमण और दहशत फैलाने का केस दर्ज किया गया।

शत्रुघ्न को मशीन की बेल्ट से निकालने के बाद, करीब एक से डेढ़ घंटे तक फैक्ट्री गेट पर छोड़ दिया गया, बाद में उसे मैनेजमेंट द्वारा रॉकलैंड अस्पताल ले जाया गया। कपंनी, मैनेजमेंट और ठेकेदार द्वारा घटना को दबाने का प्रयास किया गया। शुरूआत में अस्पताल में केवल मैनेजमेंट के ही लोग थे। परिवार वालों को बाद में जाने की अनुमति दी गई, वह भी इस शर्त पर कि परिवार के अलावा किसी अन्य मजदूर को मिलने नहीं दिया जाएगा। मजदूरों को यह झूठी जानकारी भी दी गयी कि शत्रुघ्न होश में आ गया है। लेकिन मजदूरों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने परिवार वालों को अकेले जाने से मना कर दिया। उसके बाद शत्रुघ्न की मृत्यु की खबर दी गई। बाद में अखबारों में यह रिपोर्ट छपी कि कंपनी ने मुआवजे के तौर पर 11 लाख की राशि परिवार को दी है, साथ ही दो बच्चों के नाम से तीन-तीन लाख रू. का फिक्स डिपाजिट किया है। कुछ अखबारों में यह रिपोर्ट भी छपी कि दोनों बच्चों के बालिग होने तक कंपनी की तरफ से पांच, पांच हजार रू. प्रति माह दिया जाएगा। पी.यू.डी. आर. जांच के दौरान मुआवजे की पुष्टि नहीं हो सकी क्यूंकि परिवार अपने पैतृक गांव बिहार जा चुका था।

काम का बोझ और लगातार होती दुर्घटनाएं

मजदूरों के अनुसार यह कोई पहली घटना नहीं है- इससे पहले 6 मौतें हो चुकी हैं। छोटी मोटी चोटें तो आम बात हो गयी है। हाल ही में 8 साल से काम कर रहे एक मजदूर की आंख में चोट लग गई थी लेकिन उसे किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया। मजदूरों ने पी.यू.डी.आर. यह बातया कि छोटी-मोटी चोट जैसे उंगलियों का कट जाना तो महीने, पंद्रह दिन में होती ही रहती है। उदाहरण के तौर पर, 2017 के जुलाई, अक्तूबर तथा दिसम्बर में भी दुर्घटनाए हुई थीं। दो केस में मजदूरों की

ऊंगली कट गई थी वहीं तीसरे केस में एक मजदूर की बांह कन्वेयर बेल्ट में फंस गयी थी। इन सभी तरह के केसों में कंपनी केवल एक बार के इलाज का खर्च देती है लेकिन किसी भी तरह का मुआवजा नहीं देती। दुर्घटना होने के बाद जब मजदूर काम पर आने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उसे भी छुट्टी मान कर, वेतन काट लिया जाता है। जब मजदूर वापस काम पर आते हैं, तो भी, काम में किसी तरह की रियायत नहीं दी जाती है।

मजदूरों के अनुसार बढ़ती दुर्घटनाओं का मुख्य कारण प्रोडक्शन टार्गेट है जिसकी वजह से काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। हालात तो यहाँ तक हैं, कि शिफ्ट के दौरान मजदूरों को चाय व टॉइलेट के लिए भी ब्रेक नहीं मिलता है। अगर काम के समय मजदूरों को टॉयलेट जाना पड़ता है तो उसे अन्य मजदूर की सहायता लेनी पड़ती है, इसके कारण एक मजदूर को एक समय पर एक साथ दो मशीनों का भार संभालना पड़ता है। मजदूरों की यह शिकायत है कि इस तरह काम का अधिक बोझ, उनकों को काफी थका देने वाला है, और यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि उत्पादन का लक्ष्य निरंतर बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, एक मजदूर, जो कि वर्टीकल मशीन कंट्रोलर है, उसने बताया कि 5 सालों के अंदर एक शिफ्ट में उत्पादन का लक्ष्य रोजाना 60 पीस से बढ़ा कर 110 पीस कर दिया गया है, यानि कि दोगुना! यह बढ़ोत्तरी, मशीनों को बदल कर नहीं की गई, बल्कि उन्हीं मशीनों की गति को बढ़ा कर की गई है।

कार्य की परिस्थितियाँ

दुर्घटना के अतिरिक्त, कार्य करने की परिस्थितियाँ भी बेहद खराब हैं। मजदूरों का मानना है कि इस का मुख्य कारण मजूदर यूनियन का नहीं होना है। उनका मानना है कि मानेसर में कवेल उन्हीं कंपनियों में काम की परिस्थितियां ठीक है जहां यूनियने हैं। जहां पर यूनियन है, वहां काम करने पर 20-25 हजार रू. महीने का वेतन मिलता है, जबकि उसी तरह का काम के लिए एसपीएम में मासिक वेतन मात्र 8279 रू है।

फांउड्री और मशीन प्लांट में भी काम की परिस्थितियों में अंतर है। फाउंड्री में दो शिफ्ट में काम होता है। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से और शाम के 7 बजे तक, दूसरी शिफ्ट शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक चलती है। दोनों शिफ्ट में 12 घंटे काम होता है। मजदूरों को हफ्ते के सातों दिन काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। हालांकि रविवार के काम के लिए उन्हें ओवरटाइम दिया जाता है, लेकिन ओवरटाइम की दर सिंगल होती है जो कि मिनिमम वेज एक्ट, 1948 और फैक्ट्री एक्ट 1948 के उस नियम का उल्लंघन है जिसमें ओवरटाइम को डबल रेट पर देने की बात की गई है। राष्ट्रीय अवकाश के दिन, जैसेकि 15 अगस्त, को भी चालाकी के साथ रात

की शिफ्ट में काम कराया जाता है। फाउंड्री मजदूरों का वेतन दूसरे मजदूरों के मुकाबले और देरी से दिया जाता है। कुछ समय पहले, पिछले 10 साल से ठेके पर काम कर रहे, एक मजदूर को हटा कर, दुबारा काम पर रखा गया जिससे कि उसे परमानेंट नहीं करना पड़े।

मशीन शॉप में करीब 180 स्थाई मजदूर, 3 शिफ्टों में काम करते हैं, इन शिपटों का समय सुबह 7 बजे, शाम 3 बजे और रात 11 बजे से शुरू होता है। प्रत्येक शिफ्ट में करीब 50-60 परमानेंट मजदूर और 5-10 ठेके के मजदूर काम करते हैं। इन्हें लंच के लिए आधे घंटे का ब्रेक और रविवार के दिन की छुट्टी मिलती है। कंपनी की जरूरत होने पर रविवार को भी ओवरटाइम करना पड़ता है। इन्हें भी ओवरटाइम का सिंगल रेट ही मिलता है। रविवार को मैनेजमेंट के बुलाने पर यदि किसी कारणवश मजदूर नहीं जा पाते हैं तो उन्हें कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री में नहीं आने दिया जाता है, और उस समय को जबरन छुट्टी मान कर, उनका वेतन काट लिया जाता है। हेल्पर का मूल वेतन, पुराने मजदूरों के वेतन के बराबर है परन्तु पुरोने मजदूरों के वेतन में साल में कुछ बढ़ोतरी की जाती है, जो कि मालिक की मन मर्जी पर निर्भर है। पुराने मजदूरों को, मूल वेतन के अलावा, हर महीने में 26 दिन की हाजारी होने पर 15 प्रतिशत हाजरी बोनस के रूप में दिया जाता है पर महंगाई भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है। 12 प्रतिशत पी.एफ और 1.75 प्रतिशत ई एस आई काटा जाता है। स्थिति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि एक मशीन ओपेरटर, जो पिछले पांच वर्ष से काम कर रहा है, उसे, ओवर टाइम मिलाकर मात्र 13,500 रू. प्रतिमाह मिलता है।

मजदूरों के अनुसार, ओवरटाइम के घंटों के हिसाब में भी हेराफेरी की जाती है और हर महीने 10-15 घंटों के ओवरटाइम का कोई पैसा नहीं दिया जाता है। अगर किसी मजदूर को उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अतिरिक्त समय तक फैक्ट्री में रूकना पड़ता है तो उसे 'ओवरटाईम नहीं दिया जाता है। मजदूरों के साथ गाली-गलौच और शारीरिक दुर्व्यवहार तो आम बात है।

यूनियनीकरण और मजदूरों पर दमन

कार्य की परिस्थिति और लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने मजदूरों को यूनियन बनाने के लिए प्रेरित किया। 2016 में मशीन शॉप के 10 मजदूरों ने यूनियन बनाने की आवश्यकता महसूस की और अन्य मजदूरों से बात करनी शुरू की। अप्रैल 2017 की दुर्घटना के बाद, इन सभी 10 मजदूरों को कंपनी ने अगले तीन महीनों में टर्मिनेट कर दिया। इनको हटाने के लिए जो कारण बताए गए, उसमें, नेतागिरी से लेकर एच.आर. मैनेजर पर हमला करने को बात तक कही गई। अप्रैल में हुई घटना पर सवाल उठाने

के कारण, मैनेजमेंट ने, कई अन्य मजदूरों को भी नौकरी से हटा दिया। मजदूरों ने यह बताया, कि कंपनी के प्रबन्ध निदेशक धमेंद्र बत्रा ने मीटिंग में यह तक कहा कि कंपनी के 60 किलोमीटर के दायरे में किसी से कोई मदद नहीं मिलेगी, चाहे कोर्ट हो या पुलिस। जुलाई में 7-8 मजदूरों को फिर बर्खास्त कर दिया गया और 4 मजदूरों का ट्रान्सफर, एनसीआर के बाहर, एसपीएम के दूसरे प्लांट में कर दिया गया। हटाये गये मजदूरों में एक मजदूर नेता धीरज भी थे, जिनको 4 अलग अलग दिनों पर प्लांट के अंदर जाने से रोका गया। इसके बाद, 18 सितम्बर को मजदूरों ने यूनियन का पंजीकरण कराने के लिए चंडीगढ़ में आवेदन दिया। 62 मजदूरों ने पंजीकरण के आवेदन पर हस्ताक्षर किये और सभी स्थाई मजदूरों ने इसका समर्थन किया। 23 सितम्बर को मजदूरों ने सामूहिक मांग पत्र, सहायक श्रम आयुक्त (ए.एल.सी) गुड़गाँव के दफ्तर में दिया। इस मांग पत्र में, मूल वेतन में बढ़ोतरी, वेतन में सलाना वृद्धि, ओवरटाइम दोगुना करने, मंहगाई भत्ता, ठेका प्रथा का खात्मा, छुट्टी की व्यवस्था, चिकित्सा लाभ, डिस्पेंसरी और एम्बुलेंस मुहैय्या कराना, यात्रा भत्ता आदि माँगें शामिल थीं। इसके अलावा इस मांग पत्र में यह कहा गया कि यूनियन रजिस्ट्रेशन कराने का काम चल रहा है, इसलिए मैनेजमेंट द्वारा मजदूरों को अनावश्यक परेशान करने और मजदूरों के निष्कासन, व डराने-धमकाने से मैनेजमेंट को रोका जाये।

यूनियन बनाने के आवेदन और मांग पत्र का जवाब मैनेजमेंट ने क्रूरता से दिया। 5 अक्टूबर 2017 की एक मीटिंग के दौरान 7 मजदूरों को खुले और सीध ` तौर पर मालिक द्वारा धमकी दी गई। सीताराम जैसे कुछ लोगों को सजा के तौर पर प्लांट के एक कमरे में बैठाये रखा और काम करने से रोका गया। 3 मजदूरों को जबरदस्ती उन कागजों पर हस्ताक्षर करने क`लिए बाध्य किया गया जिनमें लिखा था कि वे किसी भी तरह से यूनियन बनाने की प्रक्रिया से नहीं जुड़े हुए है। साथ ही, कंपनी मालिक ने, पड़ोसी गाँव कासन के पूर्व सरपंच के माध्यम से राजनीतिक दबाव बनाया और गुंडों, बाउंसरों को लगातार तीन दिन तक मजदूरों के कमरों पर भेजा। बाहुबल के अलावा पैसों का लालच देकर मजदूरों को खरीदने की कोशिश भी की गयी। इसके अलावा उन्हें फैक्ट्री छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। कथित तौर पर एक यूनियन सदस्य को खरीदा भी गया।

10 अक्टूबर को यह दमन और निचले स्तर पर पहुँच गया, जब मैनेजमेंट के गुंडों ने यूनियन के सदस्य और निकाले गये मजदूरों के साथ 'समझौते' के लिए मीटिंग बुलायी। मैनेजमेंट के गुंडों ने यूनियन के मुख्य सलाहकार धीरज का अपहरण कर लिया और उसे मीटिंग में शामिल होने से रोक दिया। सुबह के 10 बजे से दोपहर के 3 बजे

तक धीरज को पूरे मानेसर घुमाया गया और फोन का प्रयोग नहीं करने दिया। मीटिंग में धीरज की अनुपस्थिति का फायदा उठा कर मजदूरों को धमकाया गया। मजदूर, ध ीरज के हालातों से अनजान थे, तब भी उन्होंने बिना किसी कानूनी सलाह के, कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। तब मैंनेजमंट ने अपनी रणनीतियों में बदलाव करते हुए, मजदूरों पर शारीरिक रूप से हमला किया और गालियाँ देते हुए किराये की गाड़ी में डाल दिया। वहां से उन्हें गुडगांव कोर्ट की वकीलों की कैन्टीन की तरफ ले जाया गया जहां उन्हें शाम आठ बजे तक बंदी बनाकर रखा गया, और उन्हें तब तक नहीं जाने दिया गया जब तक कि उन्होंने यूनियन बनाने वाली गतिविधियों से पीछे हटने के कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किये। कुछ दिनों बाद, फर्जी कॉल के माध्यम से दो यूनियन सलाहकारों, धीरज और अखिलेश, को यह झूठी सूचना दी गई कि उनके खिलाफ थाने में एफ.आई.आर दर्ज की गयी है। अक्टूबर 2017 से अब तक, एस.पी.एम. के मैनेजमेंट का दमन बरकरार है। यूनियन की प्रक्रिया से जुड़े मजदूरों को फैक्ट्री में घुसने से रोका गया, लगभग 20 मजदूरों का ट्रांसफर किया गया और 10 को सस्पेंड कर दिया गया। एक मजदूर को टर्मिनेट कर दिया गया हे। इसके अलावा, कुछ मजदूरों पर फर्जी केस भी डाले गये है। ह्रदेष नाम के एक स्थानांन्त्रित मजदूर की गुंडों से पिटाई करवाई गई।

संघर्ष जारी है

इस तरह के सुनियोजित हमले और मजदूरों का निष्कासन, यूनियन के गठन की प्रक्रिया को विफल करने की कोशिश है। इसके बावजूद, मैनेजमेंट यूनियन बनाने की प्रक्रिया को दबा नहीं पाया है।

लेबर दफ्तर में हुई शुरूआती बैठक में, मैनेजमेंट ने धीरज की उपस्थिति का यह कहकर विरोध किया था कि वह एक बर्खास्त मजदूर है। धीरज का कहना था कि वह यूनियन में सलाहकार की हैसियत से है और इस बात का मैनेजमेट के पास कोई जबाव नहीं था। जबसे यूनियन के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, तबसे मजदूर, मैनेजमेंट के खिलाफ लेबर आफिस में, शिकायतें भी दर्ज करते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, बांउसरों द्वारा मजदूरों की पिटाई, धीरज का अपहरण, मैनेजमेंट द्वारा मजदूरों से जबरन हस्ताक्षर करवाना इत्यादि के खिलाफ केस दर्ज कराये गये हैं। इसके अलावा, मजदूरों ने शुरूआती दौर में ट्रांसफर किये गये 9 मजदूरों के ट्रांसफर आर्डर को भी चुनौती दी है। यह ट्रांसफर, धारा 33 IDA का उल्लघंन है। वैसे भी, चूंकि श्रम विवाद चल रहा है, बिना लेबर कमीश्नर की अनुमति के यह ट्रांसफर गैर कानूनी है। आज, मजदूर, हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही, मजदूरों ने, स्थानीय पुलिस

थाने में भी, मैंनेजमेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज की है हालांकि यह अलग बात है कि पुलिस ने अक्सर, इन शिकायतों को नजरन्दाज किया है।

पुलिस एवं प्रबंधन दोनों के लिए ही, मारुती मामले में कोर्ट का फैसला उदाहरण बना हुआ है। संघर्षत मजदूरों को लगातार यह याद दिलाया जाता है कि मारुती के मजदूरों का क्या हश्र हुआ है। मानेसर की 'आदर्ष नगरी' (मॉडल टाउनशिप) में मुनाफाखोरों के लिए औद्योगिक शांति को बनाये रखने के लिए पुलिस भी, मैनेजमेंट का साथ दे रही है। पुलिस ने पी.यू.डी.आर. की टीम को भी बताया कि उनके पास एस. पी.एम. के खिलाफ कोई शिकयत नहीं है। पुलिस ने यह भी कहा कि अप्रैल 2017 में शत्रुघ्न की मौत को लेकर भी मैनेजमेंट के खिलाफ कोई एफ.आई.आर. नहीं है।

मजदूर नेताओं का यह मानना है कि इस दमन के बावजूद भी, यूनियन का निर्माण ही एकमात्र विकल्प है। उनके लिए, बेल्लसोनिका, मुजल किरिऊ और सोना स्टीयरिंग जैसी कम्पनियों की सफल मजदूर यूनियनें भी उदाहरण हैं। बेहतर मजदूरी, काम करने की बेहतर स्थिति और सम्मानजनक जीवन के लिए यूनियन का गठन, बेहद जरूरी है।

निष्कर्ष

मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में हजारों 2 तथा 3 टीयर की फैक्ट्रियाँ हैं जो कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए उपकरण बनाती हैं। इन फैक्ट्रियों की शुरूआत 80 के दशक में, मारुती की स्थापना के पश्चात हुई थी। एसपीएम ऑटोकॉम्प सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड भी ऐसी ही एक कम्पनी है जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। मानेसर में स्थित ज्यादातर कम्पनियाँ ठेके पर मजदूरों को रखना पंसद करती है जिससे कि वे श्रम विवादों से बच सकें। पूरे क्षेत्र में, मुट्ठी मर कम्पनियों में ही मजदूर यूनियनें है। 1926 के ट्रेड यूनियन ऐक्ट में ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया था। आजादी के बाद, संविधान में इस अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। इसलिए यह राज्य की जिम्मेदारी है कि मजदूरों का सामूहिक प्रतिनिधित्व हो और फैक्ट्रियों में इस अधिकार का संरक्षण हो। श्रम व पूँजी के अन्तरविरोध में, राज्य मूक दर्शक नहीं बना रह सकता है, बल्कि उसे प्रजातांत्रिक संस्थाओं द्वारा मजदूरों के मौलिक अधिकार का संरक्षण करना चाहिए।

प्रकाशक : सचिव, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, दिल्ली (PUDR)
प्रतियों के लिये : डॉ. मौशुमी बासु, ए 6/1, अदिति अपार्टमेंटस, पॉकेट डी, जनकपुरी, नई दिल्ली
ईमेल : pudrdelhi@gmail.com वेबसाइट : www.pudr.org.
सहयोग राशि : 5 रुपये